

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

पत्रांक : 09/पोशाक यो०-01/2015

पटना, दिनांक

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

द्वारा:

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।


विषय:-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत राज्य योजना मद से राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय (उत्क्रमित सहित)/अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय/अंगीभूत/संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्तरहित उच्च माध्यमिक विद्यालय (इन्टर महाविद्यालय) में कक्षा 9वीं एवं 10वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत 1359119 (तेरह लाख उनसठ हजार एक सौ उन्नीस) एवं 11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत 261906 (दो लाख एकसठ हजार नौ सौ छः) कुल-1621025 (सोलह लाख एककीस हजार पचीस) छात्राओं के लिए पोशाक क्रय हेतु प्रति छात्रा ₹1000/-रुपये की दर से कुल राशि ₹1,62,10,25,000/- (एक अरब बासठ करोड़ दस लाख पचीस हजार) रुपये एवं बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अनुश्रवण हेतु योजना पर व्यय की जाने वाली राशि का 1% राशि ₹1,62,10,250/- (एक करोड़ बासठ लाख दस हजार दो सौ पचास) अर्थात् कुल-₹1,63,72,35,250/- (एक अरब तिरसठ करोड़ बहत्तर लाख पैतीस हजार दो सौ पचास) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:

स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 दिनांक 03.01.2008 की कंडिका-7 के आलोक में 2017-18 में बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत राज्य योजना मद से राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय (उत्क्रमित सहित)/अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय/अंगीभूत/संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्तरहित उच्च माध्यमिक विद्यालय (इन्टर महाविद्यालय) में कक्षा 9वीं एवं 10वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत 1359119 (तेरह लाख उनसठ हजार एक सौ उन्नीस) एवं 11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत 261906 (दो लाख एकसठ हजार नौ सौ छः) कुल-1621025 (सोलह लाख एककीस हजार पचीस) छात्राओं के लिए पोशाक क्रय हेतु प्रति छात्रा ₹1000/-रुपये की दर से कुल राशि ₹1,62,10,25,000/- (एक अरब बासठ करोड़ दस लाख पचीस हजार) रुपये एवं बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अनुश्रवण हेतु योजना पर व्यय की जाने वाली राशि का 1% राशि ₹1,62,10,250/- (एक करोड़ बासठ लाख दस हजार दो सौ पचास) अर्थात् कुल कुल-₹1,63,72,35,250/- (एक अरब तिरसठ करोड़ बहत्तर लाख पैतीस हजार दो सौ पचास) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-



कोटि	बजट के उपबंधित राशि	अनुश्रवण हेतु कर्णांकित राशि 1 %	लाभान्चितों के लिए राशि	कुल राशि
अन्य कोटि के छात्राओं के लिए (9वीं एवं 10वीं)	559245000	11020700	1102070000	1113090700
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए (9वीं एवं 10वीं)	309245000	2570490	257049000	259619490
11वीं एवं 12वीं की छात्राओं के लिए	372210000	2619060	261906000	264525060
कुल :-	1240700000	16210250	1621025000	1637235250

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्नांकित शीर्ष से किया जायेगा :-

❖ "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" अन्तर्गत ₹1,11,30,90,700/- (एक अरब ग्यारह करोड़ तीस लाख नव्वे हजार सात सौ) रुपये के व्यय का विकलन तत्काल ₹55,92,45,000/- (पचपन करोड़ बानवें लाख पैंतालीस हजार) रुपये मात्र का व्यय का विकलन मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-107-छात्रवृत्तियां, उप शीर्ष-0107-मुख्यमंत्री बालिक पोशाक योजना, विपत्र कोड-21-2202021070107 विषय शीर्ष-0107.3401-छात्रवृत्ति/वजीफा में उपबंधित एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि अर्थात कुल राशि ₹55,92,45,000/- (पचपन करोड़ बानवें लाख पैंतालीस हजार) रुपये से किया जायेगा। शेष राशि के व्यय का विकलन द्वितीय अनुपूरक/पुनर्विनियोग से व्यवस्था के उपरान्त किया जायेगा।

❖ "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" अन्तर्गत ₹25,96,19,490/- (पचीस करोड़ छियानवें लाख उन्नीस हजार चार सौ नव्वे) रुपये के व्यय का विकलन मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0104-मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, विपत्र कोड-21-2202027890104 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-0104.3401-छात्रवृत्ति/वजीफा में उपबंधित राशि ₹30,92,45,000/- (तीस करोड़ बानवें लाख पैंतालीस हजार) रुपये से किया जायेगा।

❖ "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" अन्तर्गत ₹26,45,25,060/- (छबीस करोड़ पैंतालीस लाख पचीस हजार साठ) रुपये के व्यय का विकलन मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-107-छात्रवृत्तियां, उप शीर्ष-0104-मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, विपत्र कोड-21-2202031070104 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-0104.3401-छात्रवृत्ति/वजीफा में उपबंधित एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि अर्थात कुल राशि ₹37,22,10,000/- (सैंतीस करोड़ बाइस लाख दस हजार) रुपये से किया जायेगा।

3. सम्पूर्ण राशि का आवंटन जिलों से छात्राओं की संख्या के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।




4. योजना के अनुश्रवण हेतु स्वीकृत राशि अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग द्वारा निकासी कर बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना को बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

5. पोशाक का क्रय छात्राओं/उनके अभिभावकों द्वारा स्वयं किया जायेगा, जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(क) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर राशि का उपावंटन राजकीय/राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं, 10वीं एवं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत् 75% उपस्थित छात्राओं के आधार पर लाभुकों की संख्या के सत्यापनोंपरांत संतुष्ट होने पर प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को उपावंटित की जायेगी। उक्त उपावंटन से पूर्व 75% से अधिक उपस्थिति के छात्राओं की सूची जिला शिक्षा कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य होगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) देंगे। प्रधानाध्यापक/प्राचार्य अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य कोटि के छात्राओं की अलग-अलग सूची तैयार करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी BTC-43 प्रपत्र पर की जायेगी, जिसके साथ 75% उपस्थिति वाले छात्राओं की सूची संलग्न की जायेगी। उक्त सूची में छात्राओं के नाम, पिता का नाम एवं पता, कक्षा, क्रमांक, योजना का नाम अवधि पोशाक की राशि की दर तथा कुल राशि के विवरणी एवं बैंक खाता विवरणी इत्यादि संलग्न करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा यह भी अंकित किया जायेगा कि लाभुक छात्रा नियमानुसार नामांकित एवं अध्ययनरत है एवं उनकी 75% से अधिक उपस्थिति प्राप्त है। इसमें किसी प्रकार की गड़बडी की जबाबदेही संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य की होगी। यह राशि संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा निकासी के बाद छात्राओं के खाते में RTGS के माध्यम से दी जायेगी।

(ख) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर जिले के अंगीभूत/संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत/मदरसा एवं वित्तरहित उच्च माध्यमिक विद्यालयों (इन्टर महाविद्यालय) में 9वीं, 10वीं एवं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में नियमित रूप से 75% उपस्थिति वाले अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य कोटि के छात्राओं की अलग-अलग सूची तैयार करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा राशि निकासी के पूर्व 75% से अधिक उपस्थिति के छात्राओं की सूची जिला शिक्षा कार्यालय में प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) देंगे। लाभुकों की संख्या के सत्यापनोंपरांत संतुष्ट होने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा राशि की निकासी BTC-43 प्रपत्र पर की जायेगी, जिसके साथ 75% उपस्थित वाले छात्राओं की सूची संलग्न की जायेगी। उक्त सूची में छात्राओं के नाम, पिता का नाम एवं पता, कक्षा, क्रमांक, योजना का नाम अवधि पोशाक की राशि की दर तथा कुल राशि के विवरणी एवं बैंक खाता विवरणी इत्यादि संलग्न की जायेगी। राशि निकासी की पश्चात् संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) 75% उपस्थिति वाले छात्राओं के खाता में RTGS के माध्यम से राशि हस्तान्तरित करेंगे।

- (ग) राशि आवंटन/निकासी के दो माह के अन्दर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (घ) सभी प्रधानाध्यापक राशि वितरण कर व्यय-विवरण जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) को उपलब्ध करायेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को व्यय विवरण उपलब्ध करायेंगे।
- (ङ) संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा अप्रैल से सितम्बर, 2017 की अवधि में 75% छात्रोंपस्थिति वाले छात्रों को ही ₹1000/- (एक हजार) की दर से उनके खाता में RTGS के माध्यम से राशि हस्तान्तरित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक जवाबदेह होंगे।
- (च) विद्यालय के प्रधानाध्यापक छात्रों द्वारा क्रय किये गये पोशाक का अभिश्रव (Voucher) छात्रों से प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि उसका उपयोग अंकेक्षण के समय किया जा सके।
- (छ) छात्रों द्वारा पोशाक योजना की राशि से सिर्फ पोशाक क्रय किया जाये न कि इस राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जाये। अगर ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उक्त राशि उनके माता-पिता से वसूलनीय होगी।
- (ज) जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत जिन छात्रों को पोशाक उपलब्ध करायी गयी है तो इस योजना से वैसे छात्रों को पोशाक क्रय हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराया जाये। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य, छात्रों के माता-पिता से यह घोषणा-पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके द्वारा अन्य किसी योजना से पोशाक क्रय हेतु राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
- (झ) योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) करेंगे। राज्य स्तर पर अनुश्रवण, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग करेंगे।
- (ञ) किसी तृतीय एजेंसी (स्वतंत्र) से Sample Basis पर भुगतान की जांच करा ली जायेगी। यह निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करायेंगे।
- (ट) अवितरित राशि, यदि कोई हो, को वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- (ठ) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस मद की राशि का उपयोग किसी अन्य मद पर नहीं करेंगे।
6. विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
7. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-09/पोशाक यो०-01/2015 के पृष्ठ-42/टि० पर दिनांक 14.12.2017 को प्राप्त है।
8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञांपाक : 09/पोशाक यो०-01/2015

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव,


शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञांपाक : 09/पोशाक यो०-01/2015 ३४

पटना, दिनांक 15/11/18

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/अवर सचिव-सह-आय-व्यय पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (योजना एवं लेखा)/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/बजट शाखा/लेखा शाखा, माध्यमिक शिक्षा/संबंधित प्राचार्य/प्राचार्या/ प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या/प्रधानाध्यापक को इस राज्यादेश की छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना
(वित्तीय वर्ष 2017-18 का निर्धारित लक्ष्य)

क्रमांक	जिला का नाम	बालिका	बालिका (SC/ST)	कुल (3+4)	बालिका	कुल (5+6)
		SC/ST को छोड़कर (कक्षा 9वीं एवं 10वीं) लाभुकों की संख्या	बालिक एस0सी0/एस0टी0 (कक्षा 9वीं एवं 10 वीं) लाभुकों की संख्या		बालिक (कक्षा 11 वीं एवं 12वीं) लाभुकों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना	34537	7075	41612	8722	50334
2	नालन्दा	28423	8201	36624	5445	42069
3	भोजपुर	40727	8072	48799	11064	59863
4	बक्सर	24595	6215	30810	3716	34526
5	रोहतास	42982	12919	55901	10130	66031
6	भभुआ	9923	3492	13415	4657	18072
7	गया	27202	9964	37166	9715	46881
8	जहानाबाद	5837	1375	7212	358	7570
9	अरवल	8489	2324	10813	1057	11870
10	नवादा	35961	8578	44539	11781	56320
11	औरंगाबाद	27319	9602	36921	5993	42914
12	मुजफ्फरपुर	49014	11438	60452	4292	64744
13	सीतामढ़ी	37655	5763	43418	6743	50161
14	शिवहर	6150	1114	7264	2600	9864
15	वैशाली	41616	12727	54343	7957	62300
16	पू0 चम्पारण	65272	10367	75639	9860	85499
17	प0 चम्पारण	34244	12198	46442	9610	56052
18	सारण	61876	12626	74502	14902	89404
19	सीवान	49433	11487	60920	8904	69824
20	गोपालगंज	35247	7107	42354	11325	53679
21	दरभंगा	54712	11495	66207	12045	78252
22	मधुबनी	81584	19500	101084	13984	115068
23	समस्तीपुर	40787	10165	50952	6419	57371
24	सहरसा	25506	3352	28858	10855	39713
25	सुपौल	21176	4102	25278	4148	29426
26	मधेपुरा	20884	4094	24978	5834	30812
27	पूर्णियां	2160	4367	6527	4619	11146
28	अररिया	14907	1830	16737	2861	19598
29	किशनगंज	13846	1230	15076	4892	19968
30	कटिहार	16918	2779	19697	3327	23024
31	भागलपुर	31415	6791	38206	7234	45440
32	बांका	13726	3078	16804	8779	25583
33	मुंगेर	15045	3124	18169	2904	21073
34	शेखपुरा	5226	950	6176	1329	7505
35	लकखीसराय	7732	1320	9052	2940	11992
36	जमुई	13845	3440	17285	2346	19631
37	खगडिया	19846	3250	23096	5475	28571
38	वेगूसराय	36253	9538	45791	13084	58875
Total		1102070	257049	1359119	261906	1621025

उप सचिव
शिक्षा विभाग बिहार, पटना